न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)
वाद संख्या :— 154 / 2023
जी.सी.एम.एस. नं. :— 2023 / 369

रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण जाति जाट उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतवली माता गायत्री देवी पुत्री चन्दुराम पत्नी प्रेमनारायण जाति जाट निवासी 6 एन.डी. तहसील व जिला अनूपगढ़।

––– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला अनूपगढ़ (राज.)

––––प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक :— 29.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि सयुक्तं खाता की कृषि भूमि वाके 6 एन डी तहसील अनूपगढ का खाता सं. 30 / 29 का मुरब्बा नं.48 पं.न.60 / 24 का किला नं. 18,19,20 / 2 की कुल 0.633 हैक्टर व मुरब्बा नं.24 पत्थर सं. 263 / 486 के किला नं. 11 ता 14 / 2 17ता25 की 3.226 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23 पं.न. 264 / 486 के किला नं.13 / 1 से 25 / 2 की 3.162 हैक्टर मय खाला, मुरब्बा नं.42 पं.न.264 / 487 के किला नं.13 ता 25 / 2 की 2.504 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 9.525 हैक्टर कमाण्ड मय खाला वादी के नाम सौम्य पुत्र प्रेमनारायण के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी के सौम्य पुत्र प्रेमनारायण के 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

यह कि वादी निवेदन करता है कि वादी की माता गायत्री पुत्री चन्दू राम व बहन प्रांजल पुत्री प्रेमनारायण के नाम संयुक्त रूप से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। चूंकि वादी नाबालिग है तथा जिसकी गायत्री पुत्री चन्दुराम जो इसी संयुक्त खाता की सह कृषक भी है वादी की कुदरतीवली माता एवं संरक्षक है इसलिऐ वाद पत्र नाबालिग वादी के हितार्थ जरिए कुदरतीवली माता गायत्री की और से प्रस्तुत किया जा रहा है कुदरतीवली माता गायत्री का हित नाबालिग वादी के विरूद्ध नहीं है । वादी का जन्म का नाम सौम्य पुत्र प्रेमनारायण था जिस कारण संयुक्त खाता की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का पूर्व नाम सौम्य पुत्र प्रेमनारायण दर्ज करवाया गया था लेकिन तत्पश्चात वादी द्वारा अपना नाम सौम्य से परिवर्तित कर रूद्र प्रताप लेघा रख लिया गया इस प्रकार सौम्य व रूद्र प्रताप लेघा वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनो नामो से ही जाना व पुकारा जाता है।

यह कि वादी ने अपना नाम सौम्य पुत्र प्रेम नारायण से रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण नाम परिवर्तन करवाने के लिऐ सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हुऐ केन्द्रीय गृहमंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष चाराजोई की जिस पर भारत सरकार केंन्द्रीय गृहमंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राधिकार से भारत का राज पत्र (गजट नोटिफिकेशन) शनिवार जुलाई 14, 2023 पर प्रकाशित करते हुऐ वादी का नाम सौम्य पुत्र प्रेम नारायण से रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण परिवर्तित कर दिया गया तत्पश्चात वादी के परिवर्तित नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण के नाम से वादी का आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजात वादी के परिवर्तत नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण के नाम से ही बने है जिन समस्त दस्तावेजात की प्रतियां सलग्नं वाद पत्र है जिनसे भी यह स्पष्ट साबित है कि सौम्य व रूद्र प्रताप लेघा एक ही व्यक्ति है और वादी का नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण है। गजट नोटिफिकेशन की प्रति सलग्नं वाद पत्र है । वादी अपनी माता के साथ आज से अरसा 10 दिंन पूर्व पटवारी हल्का के पास

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:07 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

गया और राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम सौम्य पुत्र प्रेम नारायण के स्थान पर परिवर्तित नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण दर्ज करने का कहा तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय मे चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–2 होने के कारण वादी को काफी मुशकिलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से सौम्य पुत्र प्रेम नारायण दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम परिवर्तित नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बध में उपयोग उपभोग करने मे वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा । इसलिऐ भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुऐ नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पडे और वादी अपने सही नाम रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायणके नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिऐ वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ एवं संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से चक 6 एन.डी. के मु.नं. 48 प.नं. 60/24 के 0.633 हैक्टर एवं मु.नं. 24 प.नं. 263/486 के 3.226 हैक्टर एवं मु.नं. 23 प.नं. 264/486 का 3.162 हैक्टर, मु.नं. 42 प.नं. 264/487 का 2.504 हैक्टर इस प्रकार कुल 9.525 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता के नाम से दर्ज है। प्रार्थी सौम्य लेघा पुत्र प्रमनारायण एवं रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेमनारायण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन की प्रति अनुसार भी प्रार्थी ने अपना नाम सौम्य लेघा से परिवर्तन करवाकर रूद्रप्रताप लेघा करवा लिया है। प्रार्थी के जनआधार, आधार व स्कूली दस्तावेजात में भी नाम सौम्य लेघा के स्थान पर रूद्र प्रताप लेघा करवा लिया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी सौम्य लेघा एवं रूद्रप्रताप लेघा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रार्थी ने भारत सरकार केंन्द्रीय गृहमंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राधिकार से भारत का राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) शनिवार जुलाई 8–जुलाई 14, 2023 पर प्रकाशित करते हुऐ वादी का नाम सौम्य पुत्र प्रेम नारायण से रूद्र प्रताप लेघा पुत्र प्रेम नारायण परिवर्तित कर लिया है। अतः गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– :: आदेश :: –

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 6 एन.डी. के मु.नं. 48 प.नं. 60/24 के 0.633 हैक्टर एवं मु.नं. 24 प.न. 263/486 के 3.226 हैक्टर एवं मु.नं. 23 प.नं. 264/486 का 3.162 हैक्टर, मु.नं. 42 प.नं. 264/487 का 2.504 हैक्टर इस प्रकार कुल 9.525 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/वादी का नाम **सौम्य लेघा पुत्र प्रेमनारायण** लेघा के स्थान पर रूद्र प्रताप लेघा पुत्र **प्रेमनारायण लेघा** का अंकन किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर *जिला अनूपगढ़*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:07 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़